

न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 70/2021 बउनवानी डॉ0 भूपेन्द्र सिंह यादव बनाम लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार खण्डार
स्व0श्री शेर सिंह यादव,अल्कापुरी-ए, मुरलीपुरा जयपुर-302039 प्र.अ. स्थापना/भू.अभि./एडीएम कोर्ट

GCMS No-2021/174

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

तारीख हुकम

27.9.2021

पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नहीं हुआ। सहायक लोक सूचना एवं तहसीलदार खण्डार व प्र.अ. स्थापना/भू.अभि./एडीएम कोर्ट की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 15.6.2021 को लोक सूचना अधिकारी एवं एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित किया गया जो अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के पत्रांक एफ.2(121)सूकाअ/2021/1077 दिनांक 24.6.2021 से तहसीलदार खण्डार व प्र.अ. स्थापना/भू.अभि./एडीएम कोर्ट को अधिनियम की धारा 6(3) के तहत प्रार्थना पत्र अन्तरित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाएँ उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गया:-


1. यह है कि मा0 मुख्यमंत्री महोदय राज. के पत्रांक मुंम./संस/(जीबी)/प.2/ कले. समा/21/3645 जयपुर दिनांक 27.1.2021 एवं प्र.अ. सम्पर्क पोर्टल के पत्रांक 560 दिनांक 8.2.2021 एवं प्र.अ. भू.अ. के पत्रांक प.14/7/22/तरमीम/भू.अ./रि./2020/1292 दिनांक 17.2.2021 की पालना में कार्यालय उपजिला कलेक्टर खण्डार से जिला कलेक्टर कार्यालय में प्राप्त रिपोर्ट एवं एटीआर कार्यवाही विवरण मय संलग्नक की प्र0प्रति।
2. यह है कि प्र0अ0 भू0अ0 कार्यालय पत्रांक 14/7/22/तरमीम/भू.अ./रि./2020/7684 दिनांक 26.11.2020 की पालना में तहसीलदार खण्डार से आप जिला कलेक्टर स0मा0 को प्राप्त रिपोर्ट एवं कार्यवाही विवरण एवं एटीआर की प्रमाणित प्रति मय संलग्नक एवं उक्त समसंख्यक पत्रांक 9437 दिनांक 28.12.2020 की पालना में आपको उपजिला कलेक्टर खण्डार से प्राप्त रिपोर्ट एवं एटीआर की प्र0प्रति।
3. यह है कि दिनांक 10.1.2021 से 15.6.2021 तक अति.जिला कलेक्टर कोर्ट स0मा0 मे दर्ज अपील एलआर एक्ट अन्तर्गत धारा 91 के तहसीलदार द्वारा नटी वगै. की जमीन के प्रकरणों मे दर्ज अपील संख्या मय मु.न. एवं दिनांक 14.4.2021 से 15.6.2021 तक अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक मय अपील संख्या तथा दिनांक 3.6.2021 को अपील मांगीलाल बनाम राज्य सरकार जरिये तहसीलदार खण्डार मे पारित निर्णय की प्रमाणित प्रति मय उक्त अपील मे 01 नियम,6 के प्रा0पत्र के संबंध में 25.5.2021 को पारित आदेश की प्रति।
4. यह है कि मा0 जिला कलेक्टर कार्यालय के पत्रांक प.1(8)10/शिका/स्था./2020/4904 दिनांक 15.9.2020 प्रेषित उप निबंधक राजस्व मण्डल राज0 अजमेर को प्रेषित पत्र की प्र0प्रति।
5. यह है कि तहसीलदार खण्डार द्वारा तैयार कराई गयी मौका रिपोर्ट दिनांक 16.11.2016 तथा प्र.स. 17/17 मे पारित निर्णय दिनांक 1.2.2018 एवं कार्यालय पत्रांक भू.अ./19/5634 दिनांक 18.12.2019 तथा मौका तरमीम रिपोर्ट बाबत ख0न0 544/1 व अन्य द्वारा गिरदावर/पटवारी दौलतपुरा ग्राम /हल्का दौलतपुरा दिनांक 9.9.2019 एवं पत्रांक एलआर/19/4485 दिनांक 23.9.2019 की प्रमाणित प्रति।
6. यह है कि तहसीलदार खण्डार के निर्देश पर गिरदावर सुरेश के नेतृत्व मे दिनांक 6.8.2018 को उक्त वाके ग्राम दौलतपुरा तह0 खण्डार के ख0न0 544/1 व अन्य की तरमीम बाबत टीम के द्वारा दिनांक 7.8.2018 को उक्त ~~रिपोर्ट~~ एवं टीम द्वारा तहसीलदार खण्डार को कार्य मे बाधा बाबत प्रस्तुत रिपोर्ट की ~~प्रति~~ प्रति तथा उक्त रिपोर्ट पर तहसीलदार खण्डार द्वारा की गयी कार्यवाही एवं जिला कलेक्टर को प्रेषित रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति।
7. यह है कि मा0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को ख0न0 544/1 की तरमीम वाके दौलतपुरा की तरमीम बाबत द्वारा श्रीमति राजरानी यादव दिनांक 7.6.2021 के सन्दर्भ में की कार्यवाही रिपोर्ट बाबत प्र0प्रति।

64.

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक लोक सूचना एवं तहसीलदार खण्डार व प्र.अ. स्थापना/भू.अभि./एडीएम कोर्ट द्वारा अपीलान्त को अन्दर मियाद उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक लोक सूचना एवं तहसीलदार खण्डार व प्र.अ. स्थापना/भू.अभि./एडीएम कोर्ट को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्त उपस्थित नहीं हुआ। दौराने सुनवायी उपस्थित पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खण्डार/प्र0अ0 भू.अ./संस्थापन/एडीएम कोर्ट की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिसों की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि बिन्दु संख्या 5 व 6 पर चाही गयी सूचना तहसीलदार खण्डार के पत्रांक 593 दिनांक 24.8.2021 से अपीलान्त को उपलब्ध करवायी जा चुकी है तथा बिन्दु संख्या 1 व 2 की सूचना के संबंध में प्रभारी अधिकारी भू.अ. अनुभाग के पत्रांक प.14/7/3/सूकाअ/भू.अ./2021/3857 दिनांक 15.7.2021 से अपीलान्त को वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया कि उक्त दोनो बिन्दुओं के संबंध में तहसीलदार खण्डार एवं उपजिला कलेक्टर खण्डार से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने के कारण उक्त दोनो बिन्दुओं की सूचना दिया जाना सम्भव नहीं है। बिन्दु संख्या 4 की सूचना प्रभारी अधिकारी संस्थापन अनुभाग द्वारा अपीलान्त को उपलब्ध करवायी जा चुकी है तथा बिन्दु संख्या 7 पर चाही गयी सूचना से संबंधित परिवाद दिनांक 7.6.2021 मुताबिक पत्र प्राप्ति अनुभाग की रिपोर्ट के अनुसार कार्यालय में आना नहीं पाया गया जिसके संबंध में अपीलान्त को जरिये पत्रांक एफ.2(121)/सूकाअ/2021/1191 दिनांक 12.7.2021 से वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। इसलिए अपील अपीलान्त खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अपीलान्त द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 15.6.2021 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 4,5,6 की सूचना प्रभारी अधिकारी संस्थापन अनुभाग एवं तहसीलदार खण्डार द्वारा अपीलान्त को उपलब्ध करवायी जा चुकी है। शेष बिन्दु संख्या 1,2,3 एवं 7 के संबंध में प्रभारी अधिकारी भू.अ./एडीएम कोर्ट एवं लोक सूचना अधिकारी एवं अति० जिला कलेक्टर द्वारा अपीलान्त को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। चूँकि कार्यालय रिकार्ड पर उपलब्ध बिन्दु संख्या 4,5,6 की सूचना अपीलान्त को संबंधितों द्वारा उपलब्ध करवायी जा चुकी है। शेष बिन्दुओं से संबंधित रिकार्ड कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में उक्त सूचना अपीलान्त को उपलब्ध करवाया जाना सम्भव नहीं है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्त खारिज की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय में सुनवाया गया।


(राजेन्द्र किशन)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर